

मार्कशिलो. नाम्यता - 6 - 8000 (2007)

सेवा में

श्रीमान् सचिव महोदय,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर

महोदय,

स्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र 'ग' निम्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारे विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करावे :-

1. बोर्ड से जारी अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।
2. विद्यालय भवन का चवीनतम सुरक्षा प्रमण-पत्र राजकीय अभियन्ता से प्रमाणित संलग्न है।
3. प्रबन्ध समिति / कार्यकारिणी की संशोधित प्रति संलग्न है। (यदि संशोधन हुआ हो तो)
4. कक्षावार छात्रों की संख्या का विवरण संलग्न है।
5. विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / स्टॉफ का विवरण संलग्न है।
6. गत वर्ष का आय-व्यय का विवरण सी.ए. का प्रमाणित संलग्न है।
7. नियमित वार्षिक शुल्क जमा का विवरण संलग्न है।
8. स्थायी मान्यता शुल्क जमा का विवरण संलग्न है।
9.
10.

प्रधानाध्यापक / मंत्री / व्यवस्थापक
मय मोहर



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र (ग)

स्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र

यह प्रपत्र दो प्रतियों में अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र में दी गयी अवधि में रूपये 10,000/- मय शुल्क के प्रस्तुत करना है। अन्यथा स्थायी मान्यता शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर राशि विलम्ब शुल्क के रूप में देनी होगी। (राजकीय विद्यालयों का शुल्क निदेशालय, बीकानेर से देय होगा।

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

मैं पद
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, विद्यालय (नाम मय पता)



माध्यमिक / प्रवेशिका / उच्च माध्यमिक / वरिष्ठ उपाध्याय की स्थायी मान्यता के लिये आवेदन करता हूँ कि-

- (1) विद्यालय का मान्यता क्रमांक है तथा बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है।
- (2) विद्यालय ने अस्थायी मान्यता के समय बोर्ड द्वारा बतायी गयी किमियों को बोर्ड नियमानुसार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों / नियमों के अनुसार सभी पूर्तियां कर ली हैं।

- (1) बोर्ड मापदण्डानुसार सभी भवन व कक्षों का निर्माण कर लिया है।
- (2) आवर्तक-अनावर्तक राशि बोर्ड मापदण्डानुसार विभिन्न मर्दों पर व्यय कर ब्यौरा प्रस्तुत है।
- (3) आंतरिक एवं बाह्य खेलों हेतु खेल के मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था कर ली है, प्रमाणित करता हूँ।
- (4) समस्त आवश्यक अध्यापकों / स्टाफ की नियुक्ति कर ली-

1. 2. 3. 4.

- (5) छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कर ली है, प्रमाणित करता हूँ।
- (6) अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के तहत पी.एफ. योजना लागू है, प्रमाणित करता हूँ।
- (7) पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला आवश्यक साजों-सामान से सुसज्जित है, प्रमाणित करता हूँ।
- (8) स्थिर जमा राशि रूपये जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 60 माह के लिये बालिका फाउन्डेशन में जमा है, प्रमाणित करता हूँ।
- (9) कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का पृथक संचालन है, प्रमाणित करता हूँ।
- (10) प्रबन्ध समिति का गठन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के अध्याय 4 के अनुसार कर ली है, प्रमाणित करता हूँ।
- (3) विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों एवं स्टाफ का मय नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अध्यापक का अध्ययन विषय / आवंटित कार्य का विवरण संलग्न है।
- (4) विद्यालय का नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र राजकीय अभियन्ता से प्रमाणित संलग्न है।
- (5) विद्यालय ने अस्थायी मान्यता के समय प्रस्तुत संविधान प्रबन्ध समिति / कार्यकारिणी में कोई संशोधन नहीं किया है। यदि परिवर्तन हो तो संशोधित प्रति संलग्न है।
- (6) विद्यालय में वर्तमान में कक्षावार छात्रों की संख्या का विवरण संलग्न है।
- (7) विद्यालय ने नियमित रूप से वार्षिक शुल्क जमा करवाया है, विवरण संलग्न है।
- (8) विद्यालय का गत वर्ष का आय-व्यय का विवरण, सी.ए. से प्रमाणित संलग्न है।
- (9) विद्यालय उसी भवन स्थान में संचालित है जहां के लिये अस्थाइ मान्यता दी गई थी।

घोषणा-पत्र

मैं संस्था / विद्यालय की ओर

से अधिकृत होकर निष्ठापूर्वक घोषणा कर सहमति देता हूँ कि मैंने बोर्ड के मान्यता नियमों को पढ़ समझ लिया है और मैं आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा अपनी ओर से तथा संस्था की ओर से यह भी सहमति देता हूँ कि यदि विद्यालय को मान्यता दे दी जाती है तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के वर्तमान व भविष्य में संशोधित होने वाले नियमों एवं अधिनियमों का पालन करता रहूँगा। बोर्ड यदि विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाता है तो कभी भी परीक्षा केन्द्र बनाने में असहमति देने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। जितनी छात्र संख्या विद्यालय में दर्शायी गई है उतना सिंगल सीटेंड फर्नीचर केन्द्र आवंटित होने पर उपलब्ध कराऊंगा और यदि नहीं करा पाता हूँ तो उसकी व्यवस्था विद्यालय खर्च पर ही करने की सहमति देता हूँ। इसके साथ ही यह भी सहमति देता हूँ कि यदि बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों का प्रवेश विद्यालय की त्रुटि से फर्जी पाता है तो मैं व संस्था इसके लिये जिम्मेदार होंगे और इस कारण से बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त कर सकेगा।

प्रधानाध्यापक / मंत्री / व्यवस्थापक
मय मोहर